

एलआईसी का
**जीवन
उत्सव**

Plan No.: 771 UIN: 512N363V02

**उत्सव मनाने का
गारंटीड तरीका**



**आजीवन गारंटीड रिटर्न
के साथ**

ऑनलाइन भी उपलब्ध

पूर्ण आयु जीवन बीमा एवं लाभ भुगतान के विकल्प

- सीमित प्रीमियम भुगतान अवधि 5 से 16 वर्ष
- प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान गारंटीकृत वृद्धि
- नियमित आय लाभ / फ्लेक्सी आय लाभ
- न्यूनतम मूल बीमा राशि 5 लाख

एक नॉन-पार, नॉन-लिंकड, व्यक्तिगत, बचत, पूर्ण आयु जीवन बीमा योजना

डाउनलोड करें
एलआईसी मोबाइल ऐप **LIC digital**



विजिट करें:
licindia.in



कॉल सेन्टर सर्विस
(022) 6827 6827

हमारा वॉट्सऐप नं.
8976862090 कहिए
'Hi'



LIC

भारतीय जीवन बीमा नियम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

हमें यहाँ फॉलो करें: LIC India Forever | IRDAI Regn No.: 512

ठहर पल आपके स्थाथ

एलआईसी का जीवन उत्सव (यूआईएन: 512N363V02)

(एक असहभागी, असंबद्ध, व्यक्तिगत,
बचत, आजीवन बीमा योजना)

एलआईसी की जीवन उत्सव एक असहभागी, असंबद्ध, व्यक्तिगत, बचत, आजीवन बीमा योजना है। यह योजना बीमित व्यक्ति की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के मामले में परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करती है और जीवित पॉलिसीधारक को चयनित विकल्प के अनुसार नियमित आय हितलाभ या फ्लेक्सी आय हितलाभ के रूप में उत्तरजीविता हितलाभ उपलब्ध करवाती है।

एलआईसी का जीवन उत्सव एक असहभागी उत्पाद है, जिसके अंतर्गत मृत्यु या उत्तरजीविता पर देय हितलाभ गारंटीकृत और वास्तविक अनुभव से परे तय होते हैं। इसलिए यह पॉलिसी बोनस आदि या अधिशेष में हिस्सेदारी जैसे विवेकाधीन लाभों के लिए पात्र नहीं है।

इस योजना को अनुज्ञा प्राप्त अभिकर्ताओं, कॉर्पोरेट अभिकर्ताओं, ब्रोकरों, बीमा विपणन फर्मों के माध्यम से ऑफलाइन खरीदा जा सकता है और साथ ही वेबसाइट www.licindia.in के माध्यम से सीधे ऑनलाइन भी खरीदा जा सकता है। हालाँकि, यह पॉलिसी पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन-लाइफ इंश्योरेंस (पीओएसपी-एलआई) / कॉर्मन पब्लिक सर्विस सेंटर (सीपीएससी-एसपीवी) के माध्यम से विक्रय के लिए उपलब्ध नहीं है।

प्रमुख विशेषताएँ:

- सीमित प्रीमियम भुगतान के साथ आजीवन बीमा
- योजना के अंतर्गत हितलाभ चुनने के लिए शुरुआत में दो विकल्प उपलब्ध हैं
 - विकल्प I - नियमित आय हितलाभ
 - विकल्प II - फ्लेक्सी आय हितलाभ
- प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान निश्चित अभिवृद्धियाँ
- 5 वर्ष से 16 वर्ष तक प्रीमियम भुगतान अवधि चुनने की सुविधा
- उच्च बीमा राशि पर आकर्षक छूट का लाभ
- अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर राइडरों का विकल्प चुनकर बीमा-सुरक्षा बढ़ाने का विकल्प
- क्रण सुविधा के माध्यम से नकद राशि संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।

2. पात्रता शर्तें और अन्य प्रतिबंध:

i.	प्रीमियम भुगतान अवधि	5 से 16 वर्ष
----	-------------------------	--------------

ii.	प्रवेश के समय न्यूनतम एवं अधिकतम आयु	प्रीमियम भुगतान अवधि	प्रवेश के समय न्यूनतम आयु (पूर्ण)	प्रवेश के समय अधिकतम आयु (निकटतम जन्मदिन)
		5	8 वर्ष	65 वर्ष
		6	8 वर्ष	65 वर्ष
		7	8 वर्ष	65 वर्ष
		8	8 वर्ष	65 वर्ष
		9	7 वर्ष	65 वर्ष
		10	6 वर्ष	65 वर्ष
		11	5 वर्ष	64 वर्ष
		12	4 वर्ष	63 वर्ष
		13	3 वर्ष	62 वर्ष
		14	2 वर्ष	61 वर्ष
		15	1 वर्ष	60 वर्ष
		16	30 दिन	59 वर्ष
iii.	अधिकतम प्रीमियम समाप्ति आयु	75 वर्ष (निकटतम जन्मदिन)		
iv.	पॉलिसी वर्ष की शुरुआत में न्यूनतम आयु, जिसमें पहली बार निवेश किया गया हो, नियमित आय हितलाभ/फ्लेकसी आय हितलाभ देय हो जाता है।	18 वर्ष (पूर्ण)		
v.	न्यूनतम मूल बीमा राशि	₹. 5,00,000/-		
vi.	अधिकतम मूल बीमा राशि	कोई सीमा नहीं। हालाँकि, प्रत्येक व्यक्ति को दी जाने वाली अधिकतम मूल बीमा राशि बोर्ड द्वारा अनुमोदित बीमांकन नीति के अनुसार बीमांकन निर्णय के अधीन होगी।		
vii.	मूल बीमा राशि गुणक	मूल बीमा राशि नीचे निर्दिष्ट राशि के गुणकों में होगी:		
		मूल बीमा राशि सीमा	मूल बीमा राशि गुणक	
		5,00,000 रुपए से 24,00,000 रुपए तक	₹. 25,000	
		24,00,000 रुपए से अधिक	₹. 1,00,000	

जोखिम शुरू होने की तिथि: यदि बीमित व्यक्ति की प्रवेश के समय आयु 8 वर्ष से कम है, तो जोखिम पॉलिसी शुरू होने की तिथि से 2 वर्ष बाद या 8 वर्ष की आयु प्राप्त करने के साथ या उसके तुरंत बाद की पॉलिसी वर्षगांठ, जो भी पहले हो, से शुरू होगा। प्रवेश के समय 8 वर्ष या उससे अधिक आयु

के लोगों के लिए, जोखिम को स्वीकार करने की तिथि से, अर्थात् पॉलिसी जारी करने की तिथि से तुरंत शुरू होगा।

योजना के अंतर्गत निहित होने की तिथि: यदि पॉलिसी किसी अवयस्क के जीवन पर जारी की जाती है, तो पॉलिसी स्वचलित रूप से 18 वर्ष की आयु पूरी होने के साथ या उसके तुरंत बाद की पॉलिसी वर्षगांठ पर बीमित व्यक्ति में निहित हो जाएगी और ऐसी निहितता को निगम और बीमित व्यक्ति के बीच एक अनुबंध माना जाएगा।

3. हितलाभः

चालू पॉलिसी के अंतर्गत देय लाभ निम्नानुसार होंगे:

ए. मृत्यु हितलाभः

जोखिम के प्रारंभ होने की तिथि के बाद बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर, “**मृत्यु पर बीमित राशि**” के बराबर मृत्यु हितलाभ तथा अर्जित गारंटीकृत अतिरिक्त राशि देय होगी, बशर्ते कि पॉलिसी चालू हो।

यह मृत्यु हितलाभ मृत्यु की तिथि तक भुगतान की गई कुल प्रीमियम के 105% से कम नहीं होगा।

“**मृत्यु पर बीमित राशि**” को मूल बीमित राशि या वार्षिक प्रीमियम का 7 गुना में से जो भी अधिक हो, के रूप में परिभाषित किया गया है।

जहाँ,

- i. “**वार्षिक प्रीमियम**” पॉलिसीधारक द्वारा चयनित वर्ष में देय प्रीमियम राशि होगी, जिसमें कर, राइडर प्रीमियम, बीमांकन अतिरिक्त प्रीमियम और मॉडल प्रीमियम के लिए लोडिंग, यदि कोई हो, शामिल नहीं है।
- ii. “**कुल भुगतान की गई प्रीमियम**” का अर्थ है प्राप्त हुई सभी प्रीमियमों का योग, जिसमें कोई अतिरिक्त प्रीमियम, कोई राइडर प्रीमियम और कर (यदि इन्हें स्पष्ट रूप से लिया गया हो) शामिल नहीं हैं।

हालाँकि, ऐसे अवयस्क बीमित व्यक्ति के मामले में, जिसकी जोखिम प्रारंभ होने से पहले मृत्यु होने पर प्रवेश के समय आयु 8 वर्ष से कम है (जैसा कि ऊपर अनुच्छेद 2 में निर्दिष्ट है) मृत्यु हितलाभ, भुगतान की गई प्रीमियम (करों, किसी अतिरिक्त प्रीमियम, राइडर प्रीमियम, यदि कोई हो, को छोड़कर) की वापसी बिना ब्याज के होगी।

बी. उत्तरजीविता हितलाभः

चयनित विकल्प के अनुसार नियमित आय हितलाभ या फ्लेक्सी आय हितलाभ के रूप में उत्तरजीविता हितलाभ निम्नानुसार होगा:

विकल्प 1 - नियमित आय हितलाभः

बीमित व्यक्ति के जीवित रहने पर, मूल बीमित राशि के 10% के बराबर

नियमित आय हितलाभ प्रत्येक पॉलिसी वर्ष के अंत में देय होगा, जो नीचे तालिका 1 में निर्दिष्ट वर्ष से शुरू होगा, बशर्ते कि सभी देय प्रीमियम का भुगतान किया गया हो।

विकल्प 2 – फ्लेक्सी आय हितलाभ:

बीमित व्यक्ति के जीवित रहने पर, पॉलिसीधारक को नीचे दी गई तालिका 1 में निर्दिष्ट वर्ष से प्रारंभ करते हुए प्रत्येक पॉलिसी वर्ष के अंत में मूल बीमित राशि के 10% के बराबर फ्लेक्सी आय हितलाभ पाने की पात्रता होगी, बशर्ते सभी देय प्रीमियमों का भुगतान किया गया हो।

पॉलिसीधारक को ऐसे फ्लेक्सी आय हितलाभों को स्थगित करने और उन्हें संचित करने की सुविधा उपलब्ध होगी।

निगम द्वारा आस्थगित और संचित फ्लेक्सी आय हितलाभ पर देय तिथि से लेकर निकासी या अभ्यर्पण या मृत्यु की तिथि तक, जो भी पहले हो, पूर्ण महीनों के लिए 5.5% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान किया जाएगा। ब्याज की गणना के उद्देश्य से महीनों के अंश को शामिल नहीं किया जाएगा।

पॉलिसीधारक द्वारा लिखित अनुरोध पर पॉलिसी वर्ष में एक बार, ब्याज सहित संचित शेष राशि फ्लेक्सी आय हितलाभ (यदि कोई हो) के अधिकतम 75% को निकाला जा सकता है, जिसे पहले से नहीं निकाला गया है और ऐसी निकासी के बाद शुद्ध राशि ऊपर बताए अनुसार संचित होती रहेगी।

संचित फ्लेक्सी आय हितलाभ (हितलाभों) जो देय हैं, और ब्याज सहित वापस नहीं लिए गए हैं, मृत्यु या अभ्यर्पण, जो भी पहले हो, पर देय होंगे।

नीचे दी गई तालिका 1 उस पॉलिसी वर्ष को दर्शाती है जिसके अंत में बीमित व्यक्ति के जीवित रहने पर पहला नियमित आय हितलाभ / फ्लेक्सी आय हितलाभ देय हो जाता है।

तालिका 1

प्रीमियम भुगतान अवधि	नियमित आय हितलाभ / फ्लेक्सी आय हितलाभ प्रारंभ वर्ष
5 वर्ष	11वां पॉलिसी वर्ष
6 वर्ष	11वां पॉलिसी वर्ष
7 वर्ष	11वां पॉलिसी वर्ष
8 वर्ष	11वां पॉलिसी वर्ष
9 वर्ष	12वां पॉलिसी वर्ष
10 वर्ष	13वां पॉलिसी वर्ष
11 वर्ष	14वां पॉलिसी वर्ष

12 वर्ष	15वां पॉलिसी वर्ष
13 वर्ष	16वां पॉलिसी वर्ष
14 वर्ष	17वां पॉलिसी वर्ष
15 वर्ष	18वां पॉलिसी वर्ष
16 वर्ष	19वां पॉलिसी वर्ष

पॉलिसीधारक द्वारा पॉलिसी के आरंभ में अपने द्वारा चयनित विकल्प को उस पॉलिसी वर्ष के आरंभ से छः माह पहले तक किसी भी समय बदला जा सकता है, जिसमें प्रथम नियमित आय हितलाभ या फ्लेक्सी आय हितलाभ देय होता है।

सी. परिपक्ता हितलाभ:

इस योजना के अंतर्गत परिपक्ता हितलाभ उपलब्ध नहीं है।

डी. गारंटीकृत अभिवृद्धियाँ:

चालू पॉलिसी के अंतर्गत, प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान प्रत्येक पॉलिसी वर्ष के अंत में प्रति हजार मूल बीमा राशि पर 40 रुपए की दर से गारंटीकृत अभिवृद्धियाँ अर्जित होंगी। प्रीमियम भुगतान अवधि के बाद गारंटीकृत अभिवृद्धियों का कोई और संचय नहीं होगा।

यदि प्रीमियम का भुगतान विधिवत नहीं किया जाता है, तो पॉलिसी के अंतर्गत गारंटीकृत अभिवृद्धियाँ अर्जित होना बंद हो जाएंगी।

प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर, चालू पॉलिसी के अंतर्गत, मृत्यु के वर्ष में गारंटीकृत अभिवृद्धियाँ पूरे पॉलिसी वर्ष के लिए देय होंगी।

प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान किसी चालू पॉलिसी के अभ्यर्पण की स्थिति में, जिस पॉलिसी वर्ष में पॉलिसी अभ्यर्पित की गई है, उस पॉलिसी वर्ष के लिए गारंटीकृत अभिवृद्धियाँ, उस पॉलिसी वर्ष के पूर्ण महीनों के अनुपात में आनुपातिक आधार पर जोड़ी जाएंगी, जिसमें पॉलिसी अभ्यर्पित की गई है।

4. उपलब्ध विकल्प:

i. राइडर हितलाभ:

इस योजना के अंतर्गत अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर निम्नलिखित चार वैकल्पिक राइडर (या इनके संशोधित संस्करण) उपलब्ध होंगे। हालाँकि, पॉलिसीधारक द्वारा नीचे बताई गई पात्रता के अधीन एलआईसी के दुर्घटना मृत्यु और दिव्याँगता हितलाभ राइडर या एलआईसी के दुर्घटना हितलाभ और/या शेष दो राइडर में से किसी एक को चुना जा सकता है:

ए) एलआईसी का दुर्घटना मृत्यु और दिव्याँगता हितलाभ राइडर (यूआईएन : 512B209V02):

इस राइडर के अंतर्गत हितलाभ बीमा-सुरक्षा पॉलिसी की वर्षगाँठ से पहले उपलब्ध होगा, जिस दिन बीमित व्यक्ति की आयु उसके जन्मदिन के निकटतम 70 वर्ष होगी। इस राइडर को किसी भी समय मूल योजना की प्रीमियम भुगतान अवधि में किसी भी चालू पॉलिसी के अंतर्गत चुना जा सकता है, बशर्ते मूल योजना और राइडर की बकाया प्रीमियम भुगतान अवधि कम से कम 5 वर्ष हो, लेकिन पॉलिसी की वर्षगाँठ से पहले, जिस दिन बीमित व्यक्ति की आयु उसके जन्मदिन के निकटतम 65 वर्ष हो। यदि इस राइडर को चुना जाता है, तो दुर्घटना में मृत्यु (दुर्घटना की तिथि से 180 दिनों के भीतर) होने के मामले में, मूल योजना के अंतर्गत मृत्यु हितलाभ के साथ दुर्घटना हितलाभ बीमित राशि एकमुश्त देय होगी। दुर्घटना के कारण कोई आकस्मिक दिव्याँगता होने की स्थिति में (दुर्घटना की तिथि से 180 दिनों के भीतर), दुर्घटना हितलाभ बीमित राशि के बराबर राशि का भुगतान 10 वर्षों में समान मासिक किस्तों में किया जाएगा और दुर्घटना हितलाभ बीमित राशि के लिए भावी प्रीमियमों के साथ-साथ मूल पॉलिसी के अंतर्गत मूल बीमित राशि के हिस्से के लिए प्रीमियम, जो पॉलिसी के अंतर्गत दुर्घटना हितलाभ बीमित राशि के बराबर है, छूट दी जाएगी।

अवयस्कों के जीवन पर पॉलिसी के अंतर्गत, यह राइडर विशिष्ट अनुरोध प्राप्त होने पर 18 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद पॉलिसी वर्षगाँठ से उपलब्ध होगा।

बी) एलआईसी का दुर्घटना हितलाभ राइडर

(यूआईएन: 512B203V03):

इस राइडर को किसी भी समय मूल योजना की प्रीमियम भुगतान अवधि में एक चालू पॉलिसी के अंतर्गत चुना जा सकता है, बशर्ते मूल योजना के साथ-साथ राइडर की बकाया प्रीमियम भुगतान अवधि कम से कम 5 वर्ष हो, लेकिन पॉलिसी की उस वर्षगाँठ से पहले, जिस पर बीमित व्यक्ति की निकटतम जन्मदिन आयु 65 वर्ष हो। इस राइडर के अंतर्गत हितलाभ बीमा-सुरक्षा केवल प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान या पॉलिसी की उस वर्षगाँठ तक उपलब्ध होगी, जिस पर बीमित व्यक्ति की निकटतम जन्मदिन आयु 70 वर्ष है, जो भी पहले हो। यदि इस राइडर को चुना जाता है, तो दुर्घटनावश मृत्यु होने की स्थिति में, मूल योजना के अंतर्गत मृत्यु हितलाभ के साथ दुर्घटना हितलाभ बीमित राशि एकमुश्त देय होगी। अवयस्कों के जीवन पर

पॉलिसी के अंतर्गत, यह राइडर विशिष्ट अनुरोध प्राप्त होने पर 18 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद की पॉलिसी वर्षगांठ से उपलब्ध होगा।

सी) एलआईसी का न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर

(यूआईएन: 512B210V02):

यह राइडर केवल पॉलिसी के प्रारंभ में ही उपलब्ध है। इस राइडर के अंतर्गत हितलाभ बीमा-सुरक्षा 35 वर्ष की अवधि या पॉलिसी की वर्षगांठ तक उपलब्ध होगा, जिस दिन बीमित व्यक्ति की आयु निकटतम जन्मदिन पर 75 वर्ष होगी, जो भी पहले हो। यदि इस राइडर का विकल्प चुना जाता है, तो राइडर अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर टर्म एश्योरेंस राइडर बीमित राशि के बराबर राशि देय होगी।

डी) एलआईसी प्रीमियम छूट हितलाभ राइडर

(यूआईएन: 512B204V04):

चालू पॉलिसी के अंतर्गत, इस राइडर को पॉलिसी के प्रस्तावक के जीवन पर पॉलिसी की वर्षगांठ के साथ किसी भी समय, लेकिन मूल पॉलिसी की प्रीमियम भुगतान अवधि के भीतर चुना जा सकता है; बशर्ते मूल पॉलिसी और राइडर की बकाया प्रीमियम भुगतान अवधि कम से कम पांच वर्ष हो। इसके अलावा, इस राइडर की अनुमति उस पॉलिसी के अंतर्गत होगी, जिसमें इस राइडर को चुनने के समय बीमित व्यक्ति अवयस्क है। राइडर अवधि इस राइडर को चुनने की तिथि पर मूल योजना की बकाया प्रीमियम भुगतान अवधि या (इस राइडर को चुनने के समय अवयस्क बीमित व्यक्ति की आयु में से 25 घटाकर), जो भी कम हो, होगी। यदि राइडर अवधि और प्रस्तावक की आयु 70 वर्ष से अधिक है, तो इस राइडर की अनुमति नहीं होगी।

यदि इस राइडर को चुना जाता है, तो प्रस्तावक की मृत्यु पर प्रीमियम 1, जो मृत्यु की तिथि पर और उसके बाद से लेकर राइडर अवधि की समाप्ति तक बकाया होती हैं, का भुगतान माफ कर दिया जाएगा। हालांकि, ऐसे मामले में, यदि मूल पॉलिसी की प्रीमियम भुगतान अवधि राइडर अवधि से अधिक है, तो इस प्रीमियम छूट हितलाभ राइडर अवधि की समाप्ति की तिथि से मूल पॉलिसी के अंतर्गत देय सभी आगे की प्रीमियम बीमित व्यक्ति द्वारा देय होंगी। ऐसी प्रीमियमों का भुगतान न करने पर पॉलिसी चुकता हो जाएगी।

सभी जीवन बीमा राइडरों के अंतर्गत प्रीमियम मूल योजना के अंतर्गत प्रीमियम के 30% से अधिक नहीं होगी।

एलआईसी के दुर्घटना हितलाभ राइडर के संबंध में राइडर बीमा राशि मूल उत्पाद के

अंतर्गत मृत्यु पर बीमा राशि के तीन गुना से अधिक नहीं होगी। अन्य सभी राइडरों के अंतर्गत मिलने वाला कोई भी हितलाभ मूल उत्पाद के अंतर्गत मृत्यु पर बीमा राशि से अधिक नहीं होगा।

उपरोक्त राइडरों के बारे में अधिक जानकारी के लिए राइडर विवरणिका देखें या एलआईसी के निकटतम शाखा कार्यालय से संपर्क करें।

ii. किस्तों में मृत्यु हितलाभ लेने का विकल्प:

यह एक ऐसा विकल्प है जिसमें चालू और चुकता पॉलिसी के अंतर्गत एकमुश्त राशि के बजाय 5 या 10 या 15 वर्ष की चयनित अवधि में किस्तों में मृत्यु हितलाभ प्राप्त किया जा सकता है। इस विकल्प का उपयोग पॉलिसीधारक द्वारा बीमित व्यक्ति के अवयस्क होने पर या 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के बीमित व्यक्ति द्वारा अपने जीवनकाल के दौरान; पॉलिसी के अंतर्गत देय मृत्यु हितलाभ के पूर्ण या आंशिक हिस्से के लिए किया जा सकता है। पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति द्वारा चयनित राशि (यानी शुद्ध दावा राशि) या तो पूर्ण मूल्य में हो सकती है या देय कुल दावा आय के प्रतिशत के रूप में हो सकती है।

किस्तों का भुगतान वार्षिक या अर्धवार्षिक या त्रैमासिक या मासिक अंतराल पर अग्रिम रूप से किया जाएगा, जैसा भी विकल्प चयनित हो, भुगतान की विभिन्न विधियों के लिए न्यूनतम किस्त राशि निम्नानुसार होगी:

किस्तों में भुगतान की विधि	न्यूनतम किस्त राशि
मासिक	₹. 5,000/-
त्रैमासिक	₹. 15,000/-
अर्धवार्षिक	₹. 25,000/-
वार्षिक	₹. 50,000/-

यदि शुद्ध दावा राशि पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति द्वारा चयनित विकल्प के अनुसार न्यूनतम किस्त राशि प्रदान करने के लिए आवश्यक राशि से कम है, तो दावे की राशि का भुगतान केवल एकमुश्त रूप में किया जाएगा।

1 मई से 30 अप्रैल तक 12 महीने की अवधि के दौरान शुरू होने वाले सभी किस्त भुगतान विकल्पों के लिए, प्रत्येक किस्त की राशि निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त ब्याज दर वार्षिक प्रभावी दर होगी, जो 10 वर्ष की अर्ध-वार्षिक जी-सेक दर में से 2% घटाकर उससे कम नहीं होगी; जहां, 10 वर्ष की अर्ध-वार्षिक जी-सेक दर पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम कारोबारी दिन के अनुसार होगी।

तदनुसार, 1 मई, 2024 से 30 अप्रैल, 2025 तक की 12 महीने की अवधि के लिए, किस्त राशि की गणना के लिए लागू ब्याज दर 5.07% प्रति वर्ष होगी।

किस्तों में मृत्यु हितलाभ लेने के विकल्प का उपयोग करने के लिए, बीमित व्यक्ति के अवयस्क होने के दौरान पॉलिसीधारक द्वारा, या बीमित व्यक्ति के वयस्क होने पर स्वयं उसके द्वारा पॉलिसी की अवधि के दौरान अपने जीवनकाल में इस विकल्प का उपयोग किया जा सकता है, जिसमें वह शुद्ध दावा राशि निर्दिष्ट की जाती है, जिसके लिए विकल्प का उपयोग किया जाना है। मृत्यु दावा राशि का भुगतान पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति द्वारा चयनित विकल्प के अनुसार नामित व्यक्ति को किया जाएगा और नामित व्यक्ति को इसमें कोई भी परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी।

5. प्रीमियमों का भुगतान:

प्रीमियमों का भुगतान नियमित रूप से वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक या मासिक अंतराल पर (मासिक प्रीमियम केवल एनएसीएच के माध्यम से) या वेतन कटौती के माध्यम से किया जा सकता है।

6. अनुग्रह अवधि:

वार्षिक या अर्धवार्षिक या त्रैमासिक प्रीमियम के भुगतान के लिए 30 दिनों की अनुग्रह अवधि और मासिक प्रीमियम के लिए 15 दिनों की अनुग्रह अवधि भुगतान न हुई पहली प्रीमियम की तिथि से दी जाएगी। इस अवधि के दौरान, पॉलिसी को पॉलिसी की शर्तों के अनुसार बिना किसी रुकावट के जोखिम बीमा-सुरक्षा के साथ चालू माना जाएगा। यदि अनुग्रह अवधि की समाप्ति से पहले प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता है, तो पॉलिसी कालातीत हो जाती है।

उपरोक्त अनुग्रह अवधि राइडर प्रीमियम पर भी लागू होगी, जो मूल पॉलिसी की प्रीमियम के साथ देय है।

7. नमूने के लिए उदाहरणात्मक प्रीमियम:

ऑफलाइन माध्यम से बेची जाने वाली पॉलिसियों के अंतर्गत 5,00,000 रुपए की बीमा राशि के लिए मानक जीवन बीमा हेतु नमूने की उदाहरणात्मक वार्षिक प्रीमियमें निम्नानुसार हैं:

(राशि रुपए में)

प्रीमियम भुगतान अवधि	प्रवेश के समय आयु		
	10 वर्ष	30 वर्ष	50 वर्ष
5	रु. 1,09,575	रु. 1,10,150	रु. 1,18,625
8	रु. 72,600	रु. 72,600	रु. 72,600
12	रु. 44,250	रु. 44,275	रु. 45,225
16	रु. 29,900	रु. 30,025	रु. 33,475

उपरोक्त प्रीमियम में कर शामिल नहीं हैं।

8. मॉडल लोडिंग:

विधि	सारणीबद्ध वार्षिक प्रीमियम के एक निश्चित % के रूप में लोडिंग
वार्षिक	शून्य
अर्धवार्षिक	1.75%
त्रैमासिक	2.50%
मासिक	3.25%

9. छूटः

उच्च मूल बीमा राशि के लिए छूटः

उच्च मूल बीमित राशि के लिए प्रीमियम दर में छूट के माध्यम से इंसेन्टिव मूल बीमित राशि के तीन स्लैब के लिए प्रदान किया जाता है।

i) 10,00,000 रुपए से 24,00,000 रुपए, ii) 25,00,000 रुपए से 49,00,000 रुपए, iii) 50,00,000 रुपए और उससे अधिक। उच्च मूल बीमित राशि के लिए छूट मूल बीमित राशि स्लैब और प्रीमियम भुगतान अवधि पर निर्भर करती है। मूल बीमित राशि की निचली स्लैब से मूल बीमित राशि की उच्च स्लैब में जाने पर छूट बढ़ जाती है और प्रीमियम भुगतान अवधि में वृद्धि के साथ घट जाती है।

ऑनलाइन विक्रय के अंतर्गत छूटः

किसी अभिकर्ता/मध्यस्थ की सहायता के बिना ऑनलाइन विक्रय के अंतर्गत पूर्णकृत प्रस्ताव के लिए सारणीबद्ध प्रीमियम पर 10% की छूट की पात्रता होगी।

10. पुनर्चलनः

यदि प्रीमियम का भुगतान अनुग्रह अवधि के भीतर नहीं किया जाता है, तो पॉलिसी कालातीत हो जाएगी। एक कालातीत हो चुकी पॉलिसी को भुगतान नहीं की गई पहली प्रीमियम की तिथि से लगातार 5 पूर्ण वर्षों की अवधि के भीतर पुनर्चलित किया जा सकता है। पुनर्चलन, प्रीमियम की पूरी बकाया राशि के ब्याज (अर्ध-वार्षिक चक्रवृद्धि) सहित भुगतान पर प्रभावी होगा और ब्याज दर का निर्धारण निगम द्वारा समय-समय पर किया जा सकता है तथा ऐसा पुनर्चलन बीमित व्यक्ति और/या प्रस्तावक (यदि एलआईसी के प्रीमियम छूट लाभ राइडर का विकल्प चुना गया है) की निरंतर बीमा योग्यता की संतुष्टि, पहले से उपलब्ध सूचनाओं, दस्तावेजों और प्रतिवेदनों के आधार पर और इस संबंध में पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति/प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली कोई अतिरिक्त जानकारी, यदि और जैसी पुनर्चलन के समय निगम की

बीमांकन नीति के अनुसार आवश्यक हो, के आधार पर प्रभावी होगा।

निगम बंद पॉलिसी के पुनर्चलन को मूल शर्तों पर स्वीकार करने, संशोधित शर्तों के साथ स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बंद पॉलिसी का पुनर्चलन तभी प्रभावी होगा, जब उसे निगम द्वारा अनुमोदित एवं स्वीकार कर लिया जाएगा तथा पुनर्चलन रसीद जारी कर दी जाएगी।

इस योजना के अंतर्गत 1 मई से 30 अप्रैल तक प्रत्येक 12 महीने की अवधि के लिए पुनर्चलन हेतु लागू ब्याज दर पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम कारोबारी दिन पर 10 वर्षीय जी-सेक दर प्रति वर्ष चक्रवृद्धि अर्ध-वार्षिक में 3% जोड़कर उससे, या निगम के असंबद्ध असहभागी फंड पर अर्जित लाभ में 1% जोड़कर उससे, जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं होगी। 1 मई, 2024 से 30 अप्रैल, 2025 तक की 12 महीने की अवधि के लिए, लागू ब्याज दर 9.50% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि अर्ध-वार्षिक होगी। पॉलिसी पुनर्चलन के लिए ब्याज दर के निर्धारण का आधार परिवर्तन के अधीन है।

यदि राइडर(रों) के पुनर्चलन का विकल्प चुना जाता है, तो उस पर केवल मूल पॉलिसी के पुनर्चलन के साथ ही विचार किया जाएगा, अलग से नहीं।

11. चुकता मूल्य:

यदि इस पॉलिसी के संबंध में एक वर्ष से कम की प्रीमियम का भुगतान किया गया है और उसके बाद का किसी भी प्रीमियम का भुगतान विधिवत नहीं किया गया है, तो इस पॉलिसी के अंतर्गत सभी लाभ भुगतान नहीं हुई पहली प्रीमियम की तिथि से अनुग्रह अवधि की समाप्ति के बाद समाप्त हो जाएंगे और कुछ भी देय नहीं होगा तथा तब तक भुगतान की गई प्रीमियम भी वापस नहीं की जाएगी।

यदि कम से कम एक पूर्ण वर्ष की प्रीमियम का भुगतान किया गया है और उसके बाद किसी भी आगामी प्रीमियम का भुगतान नहीं किया गया है, तो पहले पॉलिसी वर्ष के पूरा होने पर यह पॉलिसी पूरी तरह से शून्य नहीं होगी, बल्कि बीमित व्यक्ति के जीवित रहने या पॉलिसी समाप्त होने तक, जो भी पहले हो, एक चुकता पॉलिसी के रूप में बनी रहेगी।

चुकता पॉलिसी के अंतर्गत मृत्यु पर बीमित राशि को घटाकर ऐसी राशि कर दिया जाएगा, जिसे 'मृत्यु चुकता बीमा राशि' कहा जाता है और वह 'मृत्यु पर बीमित राशि' गुणित अधिकतम अवधि, जिसके लिए प्रीमियम मूल रूप से देय थी, से उस अवधि का अनुपात, जिसके लिए प्रीमियमों का भुगतान पहले ही किया जा चुका है, के बराबर होगी।

चुकता पॉलिसी के अंतर्गत मूल बीमा राशि को घटाकर ऐसी राशि कर दिया जाएगा, जिसे 'चुकता बीमा राशि' कहा जाता है, और वह 'मूल बीमित राशि' गुणित अधिकतम अवधि, जिसके लिए प्रीमियम मूल रूप से देय थी, से उस अवधि का अनुपात, जिसके लिए प्रीमियमों का भुगतान पहले ही किया जा चुका है, के बराबर होगी।

पॉलिसी के अंतर्गत प्रीमियम भुगतान की अवधि के दौरान अर्जित गारंटीकृत अभिवृद्धि तब भी संलग्न रहेगी, जब प्रीमियम का भुगतान न करने पर पॉलिसी चुकता हो जाती है। पॉलिसी के चुकता हो जाने पर कोई गारंटीकृत अभिवृद्धि अर्जित नहीं होगी।

पॉलिसी के चुकता होने से पहले उस पॉलिसी वर्ष के लिए गारंटीकृत अभिवृद्धि, जिसमें पूर्ण वर्ष से कम प्रीमियम का भुगतान किया गया है, उस पॉलिसी वर्ष के लिए भुगतान की गई प्रीमियम के अनुपात में आनुपातिक आधार पर अर्जित होगी।

चुकता पॉलिसी के अंतर्गत देय लाभ निम्नानुसार होंगे:

(ए) चुकता पॉलिसी के अंतर्गत जहां चुकता बीमित राशि 2,00,000 रुपए से कम है:

बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर, 'मृत्यु चुकता बीमित राशि' के बराबर मृत्यु हितलाभ और उसके साथ अर्जित गारंटीकृत अभिवृद्धियाँ नामिती/लाभार्थी को देय होंगी।

बीमित व्यक्ति के जीवित रहने पर, नियमित आय हितलाभ या फ्लेक्सी आय हितलाभ उस चुकता पॉलिसी के अंतर्गत देय नहीं होंगे, जहां चुकता बीमित राशि 2,00,000 रुपए से कम है।

(बी) चुकता पॉलिसी के अंतर्गत, जहां चुकता बीमित राशि 2,00,000 रुपए के बराबर या उससे अधिक है:

i. विकल्प 1 के अंतर्गत – नियमित आय हितलाभ:

बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर, 'मृत्यु चुकता बीमित राशि' के बराबर मृत्यु हितलाभ और उसके साथ अर्जित गारंटीकृत अभिवृद्धियाँ नामिती/लाभार्थी को देय होंगी।

बीमित व्यक्ति के जीवित रहने पर नीचे निर्दिष्ट किए अनुसार नियमित आय हितलाभ प्रत्येक पॉलिसी वर्ष के अंत में देय होगा, जिसकी शुरुआत अनुच्छेद 3.बी की तालिका 1 में उल्लेखित किए अनुसार वर्ष से होगी:

चुकता बीमित राशि	नियमित आय हितलाभ
2,00,000 रुपए से अधिक परंतु 3,00,000 रुपए से कम	चुकता बीमित राशि का 5%
3,00,000 रुपए से अधिक परंतु 4,00,000 रुपए से कम	चुकता बीमित राशि का 6%
4,00,000 रुपए से अधिक परंतु 5,00,000 रुपए से कम	चुकता बीमित राशि का 7%
5,00,000 रुपए और उससे अधिक	चुकता बीमित राशि का 10%

ii. विकल्प 2 के अंतर्गत – फ्लेक्सी आय हितलाभ:

बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर, नामिती/लाभार्थी को मृत्यु हितलाभ देय होगा, जो 'मृत्यु चुकता बीमित राशि' के साथ अर्जित गारंटीकृत अभिवृद्धियों के बराबर होगा।

बीमित व्यक्ति के जीवित रहने पर, पॉलिसीधारक को अनुच्छेद 3.बी की तालिका 1 में उल्लेख किए अनुसार वर्ष से शुरू होकर प्रत्येक पॉलिसी वर्ष के समापन पर फ्लेक्सी आय हितलाभ पाने की पात्रता होगी।

चुकता बीमित राशि	फ्लेक्सी आय हितलाभ
2,00,000 रुपए से अधिक परंतु 3,00,000 रुपए से कम	चुकता बीमित राशि का 5%
3,00,000 रुपए से अधिक परंतु 4,00,000 रुपए से कम	चुकता बीमित राशि का 6%
4,00,000 रुपए से अधिक परंतु 5,00,000 रुपए से कम	चुकता बीमित राशि का 7%
5,00,000 रुपए और उससे अधिक	चुकता बीमित राशि का 10%

उपरोक्त फ्लेक्सी आय हितलाभ (देय और लिए नहीं गए) पर ब्याज और निकासी से संबंधित सभी नियम और शर्तें चालू पॉलिसियों पर लागू होंगी।

अर्जित फ्लैक्सी आय हितलाभ, जो बकाया हैं और लिए नहीं गए हैं, ब्याज सहित मृत्यु या अभ्यर्पण, जो भी पहले हो, देय होंगे।

चुकता पॉलिसी के अंतर्गत मृत्यु हितलाभ, मृत्यु की तिथि तक भुगतान की गई कुल प्रीमियम के 105% से कम नहीं होगा।

12. अभ्यर्पण:

पॉलिसीधारक द्वारा पॉलिसी का पहला वर्ष पूरा होने के बाद उसका अभ्यर्पण किया जा सकता है, बशर्ते एक पूर्ण वर्ष की प्रीमियम का

भुगतान किया गया हो। हालाँकि, पॉलिसी कम से कम दो पूर्ण वर्षों की प्रीमियम के भुगतान पर गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य प्राप्त करेगी और पहले पॉलिसी वर्ष के पूरा होने के बाद विशेष अभ्यर्पण मूल्य प्राप्त करेगी, बशर्ते एक पूर्ण वर्ष की प्रीमियम का भुगतान किया गया हो। चालू या चुकता पॉलिसी के अभ्यर्पण पर, निगम गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य और विशेष अभ्यर्पण मूल्य में से जो भी अधिक हो, उसके बराबर अभ्यर्पण मूल्य का भुगतान करेगा।

गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य (जीएसवी) निम्नानुसार होगा:

- **विकल्प I – नियमित आय हितलाभ**

गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य इस प्रकार होगा – (भुगतान की गई कुल प्रीमियम गुणित कुल प्रीमियमों पर लागू जीएसवी फैक्टर) और (अर्जित गारंटीकृत अभिवृद्धि गुणित अर्जित गारंटीकृत अभिवृद्धि पर लागू जीएसवी फैक्टर) को जोड़कर उसमें से अभ्यर्पण की तिथि तक देय और भुगतान किए गए नियमित आय हितलाभों, यदि कोई हो, को घटाने से प्राप्त राशि।

- **विकल्प II – फ्लेक्सी आय हितलाभ**

(भुगतान की गई कुल प्रीमियम गुणित कुल प्रीमियमों पर लागू जीएसवी फैक्टर) और (अर्जित गारंटीकृत अभिवृद्धि गुणित अर्जित गारंटीकृत अभिवृद्धि पर लागू जीएसवी फैक्टर) को जोड़कर उसमें से अभ्यर्पण की तिथि तक देय फ्लेक्सी आय हितलाभों, यदि कोई हो, को घटाने से प्राप्त राशि।

इसके अतिरिक्त, कोई भी अर्जित फ्लेक्सी आय हितलाभ, जो अभ्यर्पण की तिथि तक देय है, तथा लिया नहीं गया है, वह भी ब्याज (यदि कोई हो) सहित देय होगा।

उपरोक्त प्रीमियम में कोई कर, यदि उसे स्पष्ट रूप से लिया गया है, बीमांकन निर्णय के कारण पॉलिसी के अंतर्गत प्रभार्य अतिरिक्त राशि और राइडर प्रीमियम (यदि कोई हो) शामिल नहीं होंगे।

कुल भुगतान की गई प्रीमियम पर लागू गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य फैक्टर प्रतिशत के रूप में व्यक्त किए जाते हैं और वे उस पॉलिसी वर्ष पर निर्भर करते हैं, जिसमें पॉलिसी अभ्यर्पित की जाती है और उन्हें नीचे निर्दिष्ट किया गया है:

कुल भुगतान की गई प्रीमियम पर लागू गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य फैक्टर

पॉलिसी वर्ष	फैक्टर	पॉलिसी वर्ष	फैक्टर	पॉलिसी वर्ष	फैक्टर	पॉलिसी वर्ष	फैक्टर	पॉलिसी वर्ष	फैक्टर
1	0.00%	8	51.48%	15	61.85%	22	72.22%	29	82.59%
2	30.00%	9	52.96%	16	63.33%	23	73.70%	30	84.07%
3	35.00%	10	54.44%	17	64.81%	24	75.19%	31	85.56%
4	50.00%	11	55.93%	18	66.30%	25	76.67%	32	87.04%
5	50.00%	12	57.41%	19	67.78%	26	78.15%	33	88.52%
6	50.00%	13	58.89%	20	69.26%	27	79.63%	34	90.00%
7	50.00%	14	60.37%	21	70.74%	28	81.11%	35 और उससे अधिक	90.00%

गारंटीकृत अभिवृद्धियों पर लागू गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य फैक्टर प्रतिशत के रूप में व्यक्त किए जाते हैं तथा उस पॉलिसी वर्ष पर निर्भर करते हैं जिसमें पॉलिसी अभ्यर्पित की जाती है तथा नीचे निर्दिष्ट किए गए हैं:

गारंटीकृत अभिवृद्धियों के लिए लागू गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य फैक्टर									
पॉलिसी वर्ष	फैक्टर	पॉलिसी वर्ष	फैक्टर	पॉलिसी वर्ष	फैक्टर	पॉलिसी वर्ष	फैक्टर	पॉलिसी वर्ष	फैक्टर
1	0.00%	8	7.16%	15	14.38%	22	21.59%	29	28.81%
2	0.00%	9	8.19%	16	15.41%	23	22.63%	30	29.84%
3	2.00%	10	9.22%	17	16.44%	24	23.66%	31	30.88%
4	3.03%	11	10.25%	18	17.47%	25	24.69%	32	31.91%
5	4.06%	12	11.28%	19	18.50%	26	25.72%	33	32.94%
6	5.09%	13	12.31%	20	19.53%	27	26.75%	34	33.97%
7	6.13%	14	13.34%	21	20.56%	28	27.78%	35 और उससे अधिक	35.00%

विशेष अभ्यर्पण मूल्य का निर्धारण और उसकी समीक्षा जीवन बीमा उत्पादों पर आईआरडीएआई मुख्य परिपत्र, संदर्भ: आईआरडीएआई/एसीटीएल/एम एसटीसीआईआर/एमआईएससी/89/6/2024 दिनांक 12 जून, 2024 और इस संबंध में आईआरडीएआई द्वारा जारी किसी भी आगामी परिपत्र के अनुरूप प्रतिवर्ष की जाएगी।

यदि कोई राइडर है तो उस पर कोई अभ्यर्पण मूल्य उपलब्ध नहीं होगा।

अभ्यर्पण मूल्य का भुगतान करने पर पॉलिसी समाप्त हो जाएगी तथा आगे कोई हितलाभ देय नहीं होगा।

13. पॉलिसी ऋण:

पॉलिसी के अंतर्गत ऋण निम्नलिखित नियमों व शर्तों के अधीन लिया जा सकता है, जैसा कि निगम द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जा सकता है:

- प्रथम पॉलिसी वर्ष पूरा होने के बाद ऋण लिया जा सकता है, बशर्ते

एक पूरे वर्ष की प्रीमियम का भुगतान किया गया हो।

2. स्वीकृत किया जाने वाला अधिकतम ऋण निम्नानुसार होगा:

(i) यदि ऋण पॉलिसी वर्ष की शुरुआत से पहले लिया गया है, जिसमें पहला नियमित आय हितलाभ / फ्लेक्सी आय हितलाभ देय हो जाता है:

दोनों विकल्पों के अंतर्गत अभ्यर्पण मूल्य के प्रतिशत के रूप में स्वीकार्य अधिकतम ऋण निम्नानुसार होगा:

- चालू पॉलिसियों के लिए - 75% तक
- चुकता पॉलिसियों के लिए - 50% तक

(ii) यदि ऋण उस पॉलिसी वर्ष के प्रारंभ से लिया गया है, जिसमें पहला नियमित आय हितलाभ / फ्लेक्सी आय हितलाभ देय होता है:

विकल्प 1 - नियमित आय हितलाभ

नियमित आय हितलाभ के लिए पात्र पॉलिसियों के लिए ऋण की अधिकतम स्वीकार्य राशि (जहां कोई पिछला ऋण बकाया नहीं है) इस प्रकार निर्धारित की जाएगी कि ऋण पर देय प्रभावी वार्षिक ब्याज राशि पॉलिसी के अंतर्गत देय वार्षिक नियमित आय हितलाभ के 50% से अधिक न हो, जो कि चालू पॉलिसियों के मामले में अभ्यर्पण मूल्य के अधिकतम 75% तथा चुकता पॉलिसियों के मामले में अभ्यर्पण मूल्य के 50% के अधीन होगी।

विकल्प 2 - फ्लेक्सी आय हितलाभ

फ्लेक्सी आय हितलाभ हेतु पात्र पॉलिसियों के लिए ऋण की अधिकतम स्वीकार्य राशि (जहां कोई पिछला ऋण बकाया नहीं है) इस तरह से निर्धारित की जाएगी कि ऋण पर देय प्रभावी वार्षिक ब्याज राशि पॉलिसी के अंतर्गत पात्र वार्षिक फ्लेक्सी आय हितलाभ के 50% से अधिक न हो, जो कि चालू पॉलिसियों के मामले में अभ्यर्पण मूल्य के अधिकतम 75% और चुकता पॉलिसियों के मामले में अभ्यर्पण मूल्य के 50% के अधीन होगी। इसके अलावा, देय और वापस न लिए गए फ्लेक्सी आय हितलाभों के 50% तक का ऋण भी स्वीकार्य है।

3. दोनों विकल्पों के अंतर्गत, बकाया ऋण ब्याज, यदि कोई हो, वार्षिक नियमित आय हितलाभ/फ्लेक्सी आय हितलाभ से वसूल किया जाएगा।

4. 1 मई से 30 अप्रैल तक प्रत्येक 12 महीने की अवधि के लिए लिए जाने वाले ऋण हेतु पूर्ण ऋण अवधि हेतु लागू ऋण ब्याज दर पिछले वित्तीय वर्ष की अंतिम कारोबारी तिथि पर 10 वर्षीय जी-सेक दर प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि अर्ध-वार्षिक में 300 आधार अंक जोड़कर उससे, या निगम के असंबद्ध, असहभागी निधि पर अर्जित लाभ में 100 आधार अंक जोड़कर उससे, जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं होगी। 1 मई, 2024 से 30 अप्रैल, 2025 तक की 12 महीने की अवधि के दौरान स्वीकृत ऋण के लिए लागू ब्याज दर 9.5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि अर्ध-वार्षिक होगी। पॉलिसी ऋण के लिए लागू ऋण ब्याज के निर्धारण का आधार परिवर्तन के अधीन है।
5. किसी भी बकाया ऋण को ब्याज सहित निकासी के समय दावे की राशि से वसूल किया जाएगा।

14. कर:

भारत सरकार या भारत के किसी अन्य संवैधानिक कर प्राधिकरण द्वारा ऐसी बीमा योजनाओं पर लगाए गए वैधानिक कर, यदि कोई हों, समय-समय पर लागू कर कानूनों और कर की दर के अनुसार होंगे। लागू करों की राशि, प्रचलित दरों के अनुसार, प्रीमियम (मूल पॉलिसी और राइडर (यदि कोई हो) पर पॉलिसीधारक द्वारा देय होगी, जिसमें अतिरिक्त प्रीमियम, यदि कोई हो, शामिल है, जिसे पॉलिसीधारक द्वारा देय प्रीमियम (यदि कोई हो) के अतिरिक्त अलग से लिया जाएगा। भुगतान की गई कर राशि को योजना के अंतर्गत देय लाभों की गणना के लिए नहीं माना जाएगा।

इस योजना के अंतर्गत भुगतान की गई प्रीमियम और देय लाभों पर आयकर लाभ/प्रभाव के संबंध में, कृपया विवरण के लिए अपने कर सलाहकार से परामर्श करें।

15. मुक्त अवलोकन अवधि:

यदि पॉलिसीधारक पॉलिसी के “नियमों और शर्तों” से संतुष्ट नहीं हैं, तो पॉलिसी दस्तावेज़ के इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक विधि, जो भी पहले हो, से प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर आपत्तियों का कारण बताते हुए पॉलिसी निगम को वापस की जा सकती है। इसकी प्राप्ति पर, निगम पॉलिसी को रद्द कर देगा और बीमा-सुरक्षा की अवधि के लिए आनुपातिक जोखिम प्रीमियम (मूल पॉलिसी और राइडर (यदि कोई हो) के लिए, चिकित्सा जाँच, विशेष रिपोर्ट, यदि कोई हो और स्टाम्प ड्यूटी

शुल्क पर किए गए खर्च को काटने के बाद जमा की गई प्रीमियम की राशि वापस कर देगा।

16. आत्महत्या अपवर्जनः

- i. यदि बीमित व्यक्ति (चाहे वह मानसिक रूप से स्वस्थ हो या अस्वस्थ) जोखिम शुरू होने की तिथि से 12 महीनों के भीतर किसी भी समय आत्महत्या कर लेता है, तो बीमित व्यक्ति के नामित व्यक्ति या लाभार्थी को भुगतान की गई कुल प्रीमियम का 80% प्राप्त होगा, जिसमें स्पष्ट रूप से लिए गए किसी भी कर, अतिरिक्त प्रीमियम और राइडर प्रीमियम, यदि कोई हो, शामिल नहीं होंगे, बशर्ते पॉलिसी चालू हो। यदि बीमित व्यक्ति की प्रवेश आयु 8 वर्ष से कम है, तो यह अनुच्छेद लागू नहीं होगा।
- ii. यदि बीमित व्यक्ति (चाहे वह मानसिक रूप से स्वस्थ हो या अस्वस्थ) पुनर्चालन की तिथि से 12 महीनों के भीतर आत्महत्या कर लेता है, तो मृत्यु की तिथि तक भुगतान की गई कुल प्रीमियम का 80% (यदि कोई कर स्पष्ट रूप से लिया गया हो, अतिरिक्त प्रीमियम और राइडर प्रीमियम, यदि कोई हो, को छोड़कर) या मृत्यु की तिथि पर उपलब्ध अभ्यर्पण मूल्य में से जो भी अधिक हो, उसे वह राशि देय होगी। बीमित व्यक्ति का नामित व्यक्ति या लाभार्थी पॉलिसी के अंतर्गत किसी अन्य दावे का अधिकारी नहीं होगा।

यह अनुच्छेद निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा:

- i. यदि पुनर्चालन के समय बीमित व्यक्ति की आयु 8 वर्ष से कम है; या
- ii. ऐसी पॉलिसी जो चुकता मूल्य प्राप्त किए बिना कालातीत हो गई हो और ऐसी पॉलिसियों के अंतर्गत कुछ भी देय नहीं होगा।

17. कुछ घटनाओं में ज़ब्तीः

यदि यह पाया जाता है कि प्रस्ताव, व्यक्तिगत विवरण, घोषणा और संबंधित दस्तावेजों में कोई असत्य या गलत कथन निहित है या कोई महत्वपूर्ण जानकारी रोकी गई है, तो ऐसे प्रत्येक मामले में पॉलिसी शून्य हो जाएगी और इसके आधार पर किसी भी हितलाभ के सभी दावे समय-समय पर यथा संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के प्रावधानों के अधीन होंगे।

18. पॉलिसी की समाप्तिः

निम्नलिखित में से किसी भी घटना के घटित होने पर पॉलिसी तत्काल

एवं स्वतः समाप्त हो जाएगी:

- ए) वह तिथि, जब एकमुश्त मृत्यु हितलाभ/मृत्यु हितलाभ की अंतिम किस्त का भुगतान कर दिया जाता है; या
- बी) वह तिथि, जिस पर पॉलिसी के अंतर्गत अभ्यर्पण लाभ का निपटान किया जाता है; या
- सी) विकल्प 1 के अंतर्गत, ऋण ब्याज के भुगतान में चूक की स्थिति में और जब ब्याज सहित बकाया ऋण राशि अभ्यर्पण मूल्य से अधिक हो जाती है; या
- विकल्प 2 के अंतर्गत, ऋण ब्याज के भुगतान में चूक होने की स्थिति में और जब ब्याज सहित बकाया ऋण राशि अभ्यर्पण मूल्य और ब्याज सहित अर्जित फ्लैक्सी आय हितलाभ की राशि से अधिक हो जाती है; या
- डी) पुनर्चलन अवधि की समाप्ति पर यदि पॉलिसी ने चुकता होने की स्थिति प्राप्त नहीं की है, पुनर्चलन अवधि के भीतर उसे पुनर्चलित नहीं किया गया है; या
- ई) मुक्त अवलोकन निरस्तीकरण राशि के भुगतान पर; या
- एफ) अनुच्छेद 17 में निर्दिष्ट जब्ती की स्थिति में।

19. नमूने के लिए लाभ उदाहरण:

इस उदाहरण का मुख्य उद्देश्य यह है कि ग्राहक उत्पाद की विशेषताओं और लाभ के प्रवाह को कुछ हद तक परिमाणीकरण के साथ समझ सके। यह उदाहरण अभिकर्ता/मध्यस्थ के माध्यम से खरीदी गई पॉलिसियों के लिए मानक जीवन (चिकित्सा, जीवनशैली और व्यवसाय के दृष्टिकोण से) पर लागू होता है।

उदाहरण 1: विकल्प 1- नियमित आय हितलाभ:

आयु	35	जीएसटी दर (प्रथम वर्ष):	4.50%
प्रीमियम भुगतान अवधि	10	जीएसटी दर (दूसरे वर्ष से आगे):	2.25%
मूल बीमित राशि रु.	10,00,000	किस्त प्रीमियम की राशि	1,11,050
प्रीमियम भुगतान की विधि	वार्षिक	नोट: जीएसटी दर समय-समय पर ¹ लागू होगी।	

लाभ सारांशः

पॉलिसी वर्ष (वर्ष का समापन)	वार्षिक प्रीमियम ¹ (संचयी)	गारंटीकृत अभिवृद्धि	गारंटीकृत हितलाभ (रु. में)				अगारंटीकृत हितलाभ (रु. में)
			नियमित आय हितलाभ	परिपक्वता हितलाभ	मृत्यु हितलाभ	न्यूनतम गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य ²	
1	111050	40000	0	0	1040000	0	10668
2	222100	80000	0	0	1080000	66630	73912
3	333150	120000	0	0	1120000	119003	135519
4	444200	160000	0	0	1160000	226948	217907
5	555250	200000	0	0	1200000	285745	389150
6	666300	240000	0	0	1240000	345366	502236
7	777350	280000	0	0	1280000	405839	630343
8	888400	320000	0	0	1320000	480273	775064
9	999450	360000	0	0	1360000	558822	938205
10	1110500	400000	0	0	1400000	641486	1121950
11	1110500	400000	0	0	1400000	662057	1207670
12	1110500	400000	0	0	1400000	682629	1300170
13	1110500	400000	100000	0	1400000	703201	1300210
14	1110500	400000	100000	0	1400000	623773	1300230
15	1110500	400000	100000	0	1400000	544385	1300120
16	1110500	400000	100000	0	1400000	464957	1300190
17	1110500	400000	100000	0	1400000	385529	1300050
18	1110500	400000	100000	0	1400000	306100	1300110
19	1110500	400000	100000	0	1400000	226672	1300120
20	1110500	400000	100000	0	1400000	147244	1300070
21	1110500	400000	100000	0	1400000	67816	1300070
22	1110500	400000	100000	0	1400000	0	1299960
23	1110500	400000	100000	0	1400000	0	1299960
24	1110500	400000	100000	0	1400000	0	1299900
25	1110500	400000	100000	0	1400000	0	1299870
26	1110500	400000	100000	0	1400000	0	1299810
27	1110500	400000	100000	0	1400000	0	1299830
28	1110500	400000	100000	0	1400000	0	1299770
29	1110500	400000	100000	0	1400000	0	1299730
30	1110500	400000	100000	0	1400000	0	1299580
31	1110500	400000	100000	0	1400000	0	1299600
32	1110500	400000	100000	0	1400000	0	1299530
33	1110500	400000	100000	0	1400000	0	1299400
34	1110500	400000	100000	0	1400000	0	1299380

35	1110500	400000	100000	0	1400000	0	1299250
36	1110500	400000	100000	0	1400000	0	1299170
37	1110500	400000	100000	0	1400000	0	1298930
38	1110500	400000	100000	0	1400000	0	1298870
39	1110500	400000	100000	0	1400000	0	1298620
40	1110500	400000	100000	0	1400000	0	1298520
41	1110500	400000	100000	0	1400000	0	1298220
42	1110500	400000	100000	0	1400000	0	1298060
43	1110500	400000	100000	0	1400000	0	1297690
44	1110500	400000	100000	0	1400000	0	1297310
45	1110500	400000	100000	0	1400000	0	1296990
46	1110500	400000	100000	0	1400000	0	1296370
47	1110500	400000	100000	0	1400000	0	1295810
48	1110500	400000	100000	0	1400000	0	1295100
49	1110500	400000	100000	0	1400000	0	1294140
50	1110500	400000	100000	0	1400000	0	1292880
51	1110500	400000	100000	0	1400000	0	1291360
52	1110500	400000	100000	0	1400000	0	1289350
53	1110500	400000	100000	0	1400000	0	1286620
54	1110500	400000	100000	0	1400000	0	1283060
55	1110500	400000	100000	0	1400000	0	1278280
56	1110500	400000	100000	0	1400000	0	1278280
57	1110500	400000	100000	0	1400000	0	1278280
58	1110500	400000	100000	0	1400000	0	1278280
59	1110500	400000	100000	0	1400000	0	1278280
60	1110500	400000	100000	0	1400000	0	1278280
61	1110500	400000	100000	0	1400000	0	1278280
62	1110500	400000	100000	0	1400000	0	1278280
63	1110500	400000	100000	0	1400000	0	1278280
64	1110500	400000	100000	0	1400000	0	1278280
65	1110500	400000	100000	0	1400000	0	1400000

टिप्पणी:

- यह उदाहरण बीमित व्यक्ति की 100 वर्ष की आयु तक के हितलाभों के प्रवाह को दर्शाता है। बाद के वर्षों के लिए, उपरोक्त उदाहरण में अंतिम पॉलिसी वर्ष के लिए दर्शाई गई हितलाभ राशि लागू होगी।
- वार्षिक प्रीमियम में बीमांकन अतिरिक्त प्रीमियम, प्रीमियम पर फ्रीक्लॉसी लोडिंग, राइडरों, यदि कोई हों, के लिए भुगतान की गई प्रीमियम और माल एवं सेवा कर शामिल नहीं है। दिखाई गई वार्षिक प्रीमियम संचयी है और केवल प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान देय है।

3. हालाँकि, यदि पॉलिसीधारक के लिए अधिक अनुकूल होने पर विशेष अभ्यर्पण मूल्य देय हो सकता है।

उदाहरण 2: विकल्प 2 - फ्लेक्सी आय हितलाभ:

आयु	35	जीएसटी दर (प्रथम वर्ष):	4.50%
प्रीमियम भुगतान अवधि	12	जीएसटी दर (दूसरे वर्ष से आगे):	2.25%
मूल बीमित राशि रु.	10,00,000	किस्त प्रीमियम की राशि	86,850
प्रीमियम भुगतान की विधि	वार्षिक	नोट: जीएसटी दर समय-समय पर ¹ लागू होगी।	

लाभ सारांश:

पॉलिसी वर्ष (वर्ष का समाप्त)	वार्षिक प्रीमियम ¹ (संचयी)	गारंटीकृत अभिवृद्धि	गारंटीकृत हितलाभ (रु. में)				अगारंटीकृत हितलाभ (रु. में)
			फ्लेक्सी आय हितलाभ	परिपक्षता हितलाभ	मृत्यु हितलाभ	न्यूनतम गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य ³	
1	86850	40000	0	0	1040000	0	9398
2	173700	80000	0	0	1080000	52110	19931
3	260550	120000	0	0	1120000	93593	89613
4	347400	160000	0	0	1160000	178548	144791
5	434250	200000	0	0	1200000	225245	216634
6	521100	240000	0	0	1240000	272766	366361
7	607950	280000	0	0	1280000	321139	459521
8	694800	320000	0	0	1320000	380605	564648
9	781650	360000	0	0	1360000	443469	683046
10	868500	400000	0	0	1400000	509730	816272
11	955350	440000	0	0	1440000	579388	965826
12	1042200	480000	0	0	1480000	652444	1133504
13	1042200	480000	0	0	1480000	672828	1219822
14	1042200	480000	0	0	1480000	693212	1313014
15	1042200	480000	100000	0	1480000	713644	1313592
16	1042200	480000	100000	0	1480000	634028	1314382
17	1042200	480000	100000	0	1480000	554412	1314970
18	1042200	480000	100000	0	1480000	474796	1315790
19	1042200	480000	100000	0	1480000	395180	1316576
20	1042200	480000	100000	0	1480000	315564	1317318
21	1042200	480000	100000	0	1480000	235948	1318134
22	1042200	480000	100000	0	1480000	156332	1318856
23	1042200	480000	100000	0	1480000	76764	1319720

24	1042200	480000	100000	0	1480000	0	1320548
25	1042200	480000	100000	0	1480000	0	1321438
26	1042200	480000	100000	0	1480000	0	1322330
27	1042200	480000	100000	0	1480000	0	1323342
28	1042200	480000	100000	0	1480000	0	1324306
29	1042200	480000	100000	0	1480000	0	1325330
30	1042200	480000	100000	0	1480000	0	1326276
31	1042200	480000	100000	0	1480000	0	1327440
32	1042200	480000	100000	0	1480000	0	1328546
33	1042200	480000	100000	0	1480000	0	1329624
34	1042200	480000	100000	0	1480000	0	1330852
35	1042200	480000	100000	0	1480000	0	1331994
36	1042200	480000	100000	0	1480000	0	1333218
37	1042200	480000	100000	0	1480000	0	1334298
38	1042200	480000	100000	0	1480000	0	1335590
39	1042200	480000	100000	0	1480000	0	1336700
40	1042200	480000	100000	0	1480000	0	1337984
41	1042200	480000	100000	0	1480000	0	1339068
42	1042200	480000	100000	0	1480000	0	1340308
43	1042200	480000	100000	0	1480000	0	1341330
44	1042200	480000	100000	0	1480000	0	1342342
45	1042200	480000	100000	0	1480000	0	1343414
46	1042200	480000	100000	0	1480000	0	1344162
47	1042200	480000	100000	0	1480000	0	1344962
48	1042200	480000	100000	0	1480000	0	1345588
49	1042200	480000	100000	0	1480000	0	1345932
50	1042200	480000	100000	0	1480000	0	1345936
51	1042200	480000	100000	0	1480000	0	1345640
52	1042200	480000	100000	0	1480000	0	1344798
53	1042200	480000	100000	0	1480000	0	1343164
54	1042200	480000	100000	0	1480000	0	1340620
55	1042200	480000	100000	0	1480000	0	1336752
56	1042200	480000	100000	0	1480000	0	1336752
57	1042200	480000	100000	0	1480000	0	1336752
58	1042200	480000	100000	0	1480000	0	1336752
59	1042200	480000	100000	0	1480000	0	1336752
60	1042200	480000	100000	0	1480000	0	1336752
61	1042200	480000	100000	0	1480000	0	1336752
62	1042200	480000	100000	0	1480000	0	1336752
63	1042200	480000	100000	0	1480000	0	1336752
64	1042200	480000	100000	0	1480000	0	1336752
65	1042200	480000	100000	0	1480000	0	1480000

टिप्पणी:

- यह उदाहरण बीमित व्यक्ति की 100 वर्ष की आयु तक के हितलाभों के प्रवाह को दर्शाता है। बाद के वर्षों के लिए, उपरोक्त उदाहरण में

अंतिम पॉलिसी वर्ष के लिए दशर्झ गई हितलाभ राशि लागू होगी।

2. वार्षिक प्रीमियम में बीमांकन अतिरिक्त प्रीमियम, प्रीमियम पर फ्रीक्लेंसी लोडिंग, राइडरों, यदि कोई हों, के लिए भुगतान की गई प्रीमियम और माल एवं सेवा कर शामिल नहीं है। दिखाई गई वार्षिक प्रीमियम संचयी है और केवल प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान देय है।
3. बीमित व्यक्ति के जीवित रहने पर, पॉलिसी वर्ष के अंत में पॉलिसीधारक फ्लेक्सी आय हितलाभ के लिए पात्र होगा। पॉलिसीधारक के पास ऐसे फ्लेक्सी आय हितलाभ को स्थगित करने और संचित करने की सुविधा होगी। निगम स्थगित और संचित फ्लेक्सी आय हितलाभ पर देय तिथि से लेकर निकासी या अभ्यर्पण या मृत्यु की तिथि तक, जो भी पहले हो, पूरे महीनों के लिए 5.5% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान करेगा। पॉलिसीधारक द्वारा लिखित अनुरोध पर पॉलिसी वर्ष में एक बार, शेष संचित फ्लेक्सी आय हितलाभ, यदि कोई हो, का अधिकतम 75% ब्याज सहित निकाला जा सकता है, जो पहले से नहीं निकाला गया है और निकासी के बाद शुद्ध राशि ऊपर बताए अनुसार संचित होती रहेगी। देय और न निकाले गए संचित फ्लेक्सी आय हितलाभ ब्याज (यदि कोई हो) सहित मृत्यु या अभ्यर्पण पर, जो भी पहले हो, देय होंगे।
4. हालाँकि, यदि पॉलिसीधारक के लिए अधिक अनुकूल होने पर विशेष अभ्यर्पण मूल्य देय हो सकता है।।

20. शिकायत निवारण प्रणाली:

निगम की:

ग्राहकों की शिकायतों का निवारण करने के लिए शाखा/मंडल/क्षेत्रीय/केंद्रीय कार्यालय में निगम के शिकायत निवारण अधिकारी (जीआरओ) मौजूद हैं। ग्राहक हमारी वेबसाइट (<https://licindia.in/web/guest/grievances>) पर जाकर जीआरओ के नाम और संपर्क जानकारी तथा शिकायत-संबंधी अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

ग्राहकों की शिकायतों का त्वरित निवारण सुनिश्चित करने के लिए निगम ने हमारे ग्राहक पोर्टल (वेबसाइट) <http://www.licindia.in> के ज़रिए ग्राहक-अनुकूल एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली आरंभ की है, जहाँ पंजीकृत पॉलिसीधारक सीधे शिकायत/परिवाद दर्ज कर सकता है और उसकी स्थिति का पता लगा सकता है। ग्राहक अपनी सभी शिकायतों के

निवारण के लिए ई-मेल आईडी co_complaints@licindia.com पर भी संपर्क कर सकते हैं।

मृत्यु दावा परित्याग के निर्णय से असंतुष्ट दावेदारों के पास अपने मामलों के पुनरीक्षण के लिए उन्हें क्षेत्रीय कार्यालय दावा विवाद निवारण समिति या केंद्रीय कार्यालय दावा विवाद निवारण समिति को भेजने का विकल्प है। एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय/ज़िला न्यायालय का न्यायाधीश हर दावा विवाद निवारण समिति का सदस्य होता है।

आईआरडीआई का:

यदि ग्राहक प्राप्त उत्तर से असंतुष्ट है या उसे 15 दिनों के भीतर हमसे कोई उत्तर नहीं मिलता है, तो वह निम्नलिखित में से कोई भी तरीका अपनाकर पॉलिसीधारक संरक्षण और शिकायत निवारण विभाग से संपर्क कर सकता है:

- i) टोल-फ़ी नंबर 155255/18004254732 (अर्थात् आईआरडीआई शिकायत कॉल सेंटर-(बीमा भरोसा शिकायत निवारण केंद्र)) पर कॉल करना
- ii) complaints@irdai.gov.in पर ईमेल भेजना
- iii) <https://bimabharosa.irdai.gov.in> पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना
- iv) कूरियर/पत्र के जरिए शिकायत भेजने का पता: महाप्रबंधक, पॉलिसीधारक संरक्षण और शिकायत निवारण विभाग, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, सर्वे नंबर 115/1, वित्त ज़िला, नानकरामगुडा, गाचीबोवली, हैदराबाद-500032, तेलंगाना।

लोकपाल का:

दावों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए, दावेदार बीमा लोकपाल से भी सम्पर्क कर सकते हैं, जिससे ग्राहक किफ़ायती और त्वरित मध्यस्थता प्राप्त कर सकते हैं।

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45:

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 के प्रावधानों को समय-समय पर संशोधित किया जाएगा। वर्तमान प्रावधान इस प्रकार हैं:

- (1) जीवन बीमा की किसी भी पॉलिसी पर पॉलिसी की तारीख से तीन

वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी आधार पर कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा, अर्थात् पॉलिसी के जारी होने की तारीख से या जोखिम के आरंभ होने की तारीख से या पॉलिसी के पुनर्चलन की तारीख से या पॉलिसी के लिए राइडर जोड़े जाने की तारीख से, जो भी बाद में हो।

(2) धोखाधड़ी के आधार पर जीवन बीमा की किसी भी पॉलिसी पर पॉलिसी के जारी होने की तारीख से या जोखिम के आरंभ होने की तारीख से या पॉलिसी के पुनर्चलन की तारीख से या पॉलिसी के लिए राइडर जोड़े जाने की तारीख से, जो भी बाद में हो, तीन वर्षों के भीतर किसी भी समय सवाल उठाया जा सकता है:

बशर्ते कि बीमाकर्ता को लिखित में बीमित व्यक्ति या बीमित व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधियों या नामितियों या समनुदेशितियों को उन आधारों और तथ्यों के बारे लिखित में सूचित करना होगा, जिन पर ऐसा निर्णय आधारित है।

स्पष्टीकरण I - इस उपधारा के उद्देश्यों के लिए, “धोखाधड़ी” शब्द का मतलब बीमित व्यक्ति या उसके एजेंट द्वारा बीमाकर्ता को धोखा देने या बीमाकर्ता को जीवन बीमा पॉलिसी जारी करने के लिए उकसाने की मंशा से किए गए निम्नांकित में से किसी भी कार्य से है:-

(ए) तथ्य के रूप में किसी ऐसे विचार का सुझाव देना जो सत्य नहीं है और जिसे बीमित व्यक्ति सत्य नहीं मानता है;

(बी) बीमित व्यक्ति द्वारा किसी तथ्य को सक्रिय रूप से छिपाना जबकि उसे उस तथ्य का ज्ञान हो या उसकी वास्तविकता का विश्वास हो;

(सी) कोई और कृत्य जो धोखा देने के लिए उपयुक्त हो; और

(डी) ऐसा कोई कृत्य या भूल-चूक जिसे कानून द्वारा विशिष्ट रूप से धोखाधड़ी घोषित किया गया हो।

स्पष्टीकरण II - ऐसे तथ्यों के बारे में मात्र मौन रहना जिनसे बीमाकर्ता द्वारा जोखिम के मूल्यांकन के प्रभावित होने की संभावना हो, तब तक धोखाधड़ी नहीं है, जब तक कि मामले की परिस्थितियाँ ऐसी न हों कि यदि उन पर ध्यान दिया जाए, तो बीमित व्यक्ति या उसके एजेंट का यह कर्तव्य है कि वह बोलने से मौन रहे या जब तक कि उसका मौन रहना अपने आप में ही बोलने के समतुल्य न हो।

(3) उपधारा (2) में कोई भी बात शामिल होते हुए भी, कोई बीमाकर्ता धोखाधड़ी के आधार पर किसी जीवन बीमा पॉलिसी को अस्वीकृत नहीं करेगा, यदि बीमाकर्ता यह प्रमाणित कर सकता है कि गलतबयानी या महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया जाना उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य था या यह कि उस तथ्य को छिपाए जाने की कोई जान बूझ कर मंशा नहीं थी या यह कि गलतबयानी या महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया जाना बीमाकर्ता की जानकारी में था:

बशर्ते कि धोखाधड़ी की स्थिति में यदि पॉलिसीधारक जीवित नहीं है, तो झूठ को गलत साबित करने का दायित्व लाभार्थियों पर होता है।

स्पष्टीकरण – कोई व्यक्ति, जो बीमा अनुबंध का आग्रह करता है और उस पर बातचीत करता है, उसे बीमाकर्ता का अभिकर्ता बनने हेतु अनुबंध करने के उद्देश्य से माना जाएगा।

(4) जीवन बीमा की किसी भी पॉलिसी पर पॉलिसी के जारी होने की तारीख से या जोखिम के आरंभ होने की तारीख से या पॉलिसी के पुनर्चलन की तारीख से या पॉलिसी के लिए राइडर जोड़े जाने की तारीख से, जो भी बाद में हो, इस आधार पर कि बीमाकर्ता के जीवन की प्रत्याशा के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य के किसी कथन को छिपाने का कथन प्रस्ताव में या अन्य दस्तावेज पर गलत ढंग से किया गया था जिसके आधार पर पॉलिसी जारी की गई थी या पुनर्जीवित की गई थी या राइडर जारी किया गया था, तीन वर्षों के भीतर किसी भी समय सवाल उठाया जा सकता है:

बशर्ते कि बीमाकर्ता को लिखित में बीमित व्यक्ति या बीमित व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधियों या नामितियों या समनुदेशितियों को उन आधारों और तथ्यों के बारे में सूचित करना होगा, जिनके आधार पर जीवन बीमा पॉलिसी को अस्वीकृत का ऐसा निर्णय लिया गया है।

बशर्ते महत्वपूर्ण तथ्य की गलतबयानी या छिपाने के आधार पर पॉलिसी को अस्वीकृत करने की स्थिति में, न कि धोखाधड़ी के आधार पर, अस्वीकृत की तारीख तक पॉलिसी पर लिए गए प्रीमियम बीमित व्यक्ति या विधिक प्रतिनिधियों या नामांकित व्यक्तियों या समनुदेशितियों को

ऐसे अस्वीकृति की तारीख से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर अदा किए जाएँगे।

स्पष्टीकरण - इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए तथ्य का मिथ्या कथन या छिपाया जाना तब तक महत्वपूर्ण नहीं समझा जाएगा जब तक बीमाकर्ता द्वारा स्वीकार किए गए जोखिम पर इसका सीधा प्रभाव नहीं पड़ता हो, बीमाकर्ता पर यह प्रमाणित करने का दायित्व है कि यदि बीमाकर्ता उक्त तथ्य से अवगत होता, तो बीमित व्यक्ति को कोई जीवन बीमा पॉलिसी जारी नहीं की जाती।

(5) इस धारा में शामिल कोई भी बात बीमाकर्ता को किसी भी समय आयु का प्रमाण मांगने से रोक नहीं सकेगी यदि वह ऐसा करने का हकदार हो, और किसी भी पॉलिसी को सिर्फ़ इस कारण प्रश्नगत किया गया नहीं समझा जाएगा कि पॉलिसी की शर्तें बाद में यह प्रमाणित किए जाने पर ठीक कर ली गई हैं कि बीमित व्यक्ति की आयु प्रस्ताव में गलत बताई गई थी।

छूटों की निषिद्धता (बीमा अधिनियम, 1938 का अनुच्छेद 41):

1. कोई भी व्यक्ति, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, किसी भी व्यक्ति को भारत में जीवन या संपत्ति से जुड़े किसी भी तरह के जोखिम के संबंध में कोई बीमा लेने या नवीकृत करने या जारी रखने हेतु, प्रलोभन के रूप में, देय कमीशन पर संपूर्ण या आंशिक रियायत या पॉलिसी में दर्शाए गए प्रीमियम पर किसी भी रियायत की अनुमति नहीं देगा या अनुमति देने का प्रस्ताव नहीं देगा और न ही पॉलिसी लेने या नवीकृत करने या जारी रखने वाला कोई व्यक्ति कोई भी रियायत स्वीकार करेगा, सिवाए उस रियायत के जिसकी अनुमति बीमाकर्ता के प्रकाशित सूचीपत्रों या सारणियों के अनुसार दी जा सकती है।
2. इस धारा के प्रावधानों का अनुपालन न करने वाले व्यक्ति पर जुर्माना लगाया जाएगा, जो कि दस लाख रुपये तक हो सकता है।

बीमा अधिनियम, 1938 की विभिन्न धाराएँ जो एलआईसी पर लागू हैं, समय-समय पर किए गए संशोधन के अनुसार लागू होंगी।

इस राइडर विवरणिका में राइडर की केवल मुख्य विशेषताएं ही दी गई हैं। अतिरिक्त विवरण के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.licindia.in पर उपलब्ध पॉलिसी दस्तावेज़ देखें अथवा हमारे नज़दीकी शाखा कार्यालय से संपर्क करें।

नकली फोन कॉल और नकली/धोखाधड़ी वाले प्रस्तावों से सावधान रहें।

आईआरडीएआई या इसके अधिकारी बीमा व्यवसाय संबंधी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होते हैं, जैसे कि बीमा पॉलिसियाँ बेचना, बोनस की घोषणा करना या प्रीमियम का निवेश करना, या राशि वापस करना। पॉलिसीधारकों या ऐसे फोन कॉल प्राप्त करने वाले संभावित ग्राहकों से अनुरोध है कि वे इसकी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाएँ।

भारतीय जीवन बीमा निगम

“भारतीय जीवन बीमा निगम” की स्थापना जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के अंतर्गत 1 सितम्बर, 1956 को की गई थी, जिसका उद्देश्य देश के समस्त बीमा योग्य व्यक्तियों तक पहुँचने और उन्हें बीमित घटनाओं के लिए पर्याप्त आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लक्ष्य से जीवन बीमा का दूर-दूर तक, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसार करना था। भारतीय बीमा के उदारीकृत परिदृश्य में भी एलआईसी प्रमुख जीवन बीमाकर्ता बना हुआ है और अपने पिछले रिकॉर्ड से भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए एक नए विकास पथ पर तेज़ी से आगे कदम बढ़ा रहा है। छः दशकों से भी ज्यादा समय से अपने अस्तित्व में, एलआईसी ने परिचालन के विभिन्न क्षेत्रों में दृढ़ता से अपना उत्तरोत्तर विकास किया है।



भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

पंजीकृत कार्यालयः

भारतीय जीवन बीमा निगम

केंद्रीय कार्यालय,

योगक्षेम, जीवन बीमा मार्ग, मुंबई – 400021.

वेबसाइट: www.licindia.in

पंजीकरण संख्या: 512